कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा) कोरिया छत्तीसगढ़

:: संक्षिप्त निविदा विज्ञापन ::

कमांक 319 / लेखा / मबावि / 2012–13 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/2/2013

समेकित बाल विकास परियोजना अन्तर्गत जिला कोरिया में संचालित 1357 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 422 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु वर्ष 2012–13 में प्री– स्कूल किट का कय किये जाने हेतु पंजीकृत उत्पादनकर्ता /आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म से मोहरबन्द निविदायें दिनांक 14–03–2013 को 2.00 बजे दोपहर तक आमंत्रित की जाती है एवं उसी दिन समय 4.00 बजे उक्त निविदा फार्म जिला स्तरीय कय समिति के समक्ष खोले जावेगें जिसमें निविदाकार स्वयं अथवा उनके व्दारा अधिकृत प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सकेगें ।

निविदा प्रपत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरिया के कार्यालय से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 1,000/– (एक हजार रूपये मात्र) का चालान मुख्य शीर्ष 0235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण महिला एवं बाल विकास मद में जमा कर चालान की मूल प्रति के साथ दिनांक 13–03–2013 तक कार्यालयीन दिवस समय 5.30 बजे तक प्राप्त किये जा सकेगें । शेष विस्तृत शर्ते व सामग्री की सूची कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
कोरिया (छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास शाखा) कोरिया छत्तीसगढ़

निविदा शर्ते

विषयः—जिले की आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए प्री— स्कूल किट् का क्रय वर्ष 2012—13 ।

संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक 8624/मबावि/आईसीडीएस—4/2012—13 दिनांक 24.01.2013 में निहित प्रावधानांतर्गत जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कोरिया के अन्तर्गत 06 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 1357 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं 422 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए ' प्री—स्कूल किट' आपूर्ति करने हेतु पंजीकृत उत्पादनकर्ता /आपूर्तिकर्ता इच्छुक फर्म से निविदा लिफाफों में दिनांक 14—03—2013 अपरान्ह 2.00 बजे तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोरिया के स्थित कार्यालय में आमंत्रित है । निविदा शर्ते निम्नानुसार है :—

1. प्री—स्कूल किट' क्रय हेतु परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र0	परियोजना का नाम	आं0बा0 केन्द्र संख्या	मिनी आं0 बा0 केन्द्र संख्या
1	भरतपुर	288	25
2	बैकुण्ठपुर	301	169
3	मनेन्द्रगढ़	260	71
4	सोनहत	182	03
5	खड़गवां	262	154
6	चिरमिरी	64	0
	योग—	1357	422

2. क्रयादेश जारी करने की तिथि को संचालित आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्यानुसार उपरोक्त दर्शित संख्या में कमी किया जा सकता है ।
3. प्री—स्कूल किट में निहित सामग्रियों की सूची उल्लेखित है । निविदादाता को इन्हीं सामग्रियों का पृथक—पृथक दर अंकित करते हुए कुल दर लेख कर निविदा प्रस्तुत करना होगा । विभागीय बंटन सीमा अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए रू. 1000/— तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 250/— रूपये प्रति किट सेट निर्धारित है ।
4. निविदादाता को दो बंद लिफाफा 'अ एवं ब' में निविदा प्रस्तुत करना होगा । लिफाफा 'अ' में अमानत राशि, छ.ग. राज्य के किसी भी जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र से पंजीयन प्रमाण पत्र व सक्षमता प्रमाण पत्र, वाणिज्य कर विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र (टीन नम्बर) तथा प्री— स्कूल किट में उल्लेखित सामग्रियों के उत्पादनकर्ता / अधिकृत विक्रेता का प्रमाण पत्र आयकर एवं वाणिज्यि कर विभाग से ' चुकता प्रमाण पत्र ' का अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा । सैम्पल किट रहित प्राप्त निविदाऐं नहीं खोली जायेगी । निविदा लिफाफा'अ' पहले खोला जायेगा, जिसमें निहित शर्ते को पूर्ण करने एवं वैध पाये जाने पर ही लिफाफा'ब' खोला जायेगा ।
5. निविदादाता को निविदा लिफाफा के साथ सेम्पल किट प्रस्तुत करना होगा, जो क्रय समिति के अवलोकन पश्चात वापसी योग्य होगा, किन्तु जिन निविदादाता का

P.T.O.

निविदा स्वीकृत होगा, उनका सेम्पल सामग्री के भुगतान तिथि से आगामी छः माह तक कार्यालय में रखा जायेगा ।

6. सभी 'कर' सम्मिलित करके निविदा दर प्रस्तुत करना होगा, निविदा में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा ।
7. निविदा मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 14 मार्च 2013 अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय में रखे गये शील बंद पेटी में प्रस्तुत किया जा सकता है उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे निविदा लिफाफे जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वयं / प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है ।
8. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में तत्काल 50/— के स्टाम्प पर सामग्री आपूर्ति करने बावत् सहमति पत्र / अनुबंध संपादित करना होगा तथा सामग्री की आपूर्ति क्रयादेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर क्रयादेश में निर्धारित किए गए स्थल तक पहुंचाकर देना होगा । निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदाय नहीं करने पर भुगतान राशि में आनुपातिक कटौती की जायेगी अथवा क्रयादेश निरस्त किया जा कर अमानत राशि छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में राजसात किया जा सकेगा ।
9. निविदादाता फर्म व्दारा प्रदायित सामग्रियों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय क्रय समिति के व्दारा किया जायेगा । भौतिक सत्यापन में सेम्पल से आपूर्ति हुए सामग्री का मिलान नहीं होने पर नियमानुसार कटौती की जायेगी या निरस्त किया जायेगा।
10. एक निविदादाता का एक ही निविदा स्वीकार किया जायेगा ।
11. निविदादाता को अमानत राशि के रूप में राशि रू. 43,875 (शब्दों मे तिरालिस हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये) मात्र का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी बी.सी. /डी.डी., जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास कोरिया के पक्ष में जारी हुआ हो, प्रस्तुत करना होगा ।
12. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिए कार्यालय /विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।
13. निविदा स्वीकृत होने पर आपूर्ति की गई सामग्री का निर्धारित संस्था से बच्चों के उपयोग हेतु उपयुक्त (नान टॉक्सिक) होने का एवं धारदार नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
14. निविदादाता को सामग्री के साथ दो प्रतियों में देयक जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोरिया को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान आबंटन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।
15. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जायेगा कि निविदादाता को निविदा की सभी शर्ते मान्य व स्वीकार्य है ।
16. विवाद की स्थिति में कलेक्टर कोरिया का निर्णय अंतिम व सभी पक्षों का मान्य होगा ।
17. निविदादाताओं को शासन के वाणिज्यकर विभाग से जीवित पंजीयन प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य एवं पिछले वर्ष का कर समासोधन पत्रक एवं फार्म 16 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
18. चयनित निविदादाता व्दारा सर्व प्रथम जिले में सामग्री प्रस्तुत करेगें । भौतिक सत्यापन पश्चात् जिले के 06 बाल विकास परियोजना में सामग्री स्वयं के व्यय पर भेजना अनिवार्य होगा ।

P.T.O.

19. निविदादाता व्दारा ऐसे सेम्पल प्रस्तुत किया जावे जो 03 से 06 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी हो ।

20. आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्रपत्र भाग–अ' में उल्लेखित सामग्री का दर 1000/– (एक हजार रूपये) मात्र निर्धारित है एवं प्रपत्र भाग' ब' मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में उल्लेखित सामग्री का दर रूपये 250/– (दो सौ पच्चास रूपये) निर्धारित है । इसी दर पर सामाग्री विवरण सूची के अनुसार प्रत्येक सामाग्री के लिए दर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा ।

21. निविदादाता व्दारा प्रस्तुत सामाग्री की मात्रा का निर्धारण जिला स्तरीय कय समिति व्दारा किया जायेगा ।

जिला कार्यकम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
कोरिया (छ0ग0)